2012:CGHC:9668

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दाण्डिक अपील क्रमांक – 2644/2000

अपीलार्थी – झुटेल राम कौशिक एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी – मध्य प्रदेश राज्य

उपस्थित :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री आलोक बक्शी एवं श्री विवेक शर्मा, अधिवक्तागणI

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से : श्री वैभव गोवर्धन, पैनल अधिवक्ता I

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

निर्णय

दिनांक: 04/04/2012 को पारित

1. यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 144/1998 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.10.2000 से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख एवं 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर प्रत्येक को धारा 304ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दस वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹3,000/- के जुर्माना से दंडित किया गया, तथा जुर्माना का भुगतान न करने की स्थिति में

छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतका संतोषी बाई, जो अपीलार्थी क्रमांक 2 मुकेश कुमार की पत्नी थी, की मृत्यु दिनांक 18.07.1997 को प्रातः लगभग 9 बजे हुई तथा उसी दिन दोपहर 3 से 4 बजे के मध्य उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिनांक 18.07.1997 को सायं 5 बजे मृतका के दादा रामचंद्र (अ.सा. -1) द्वारा मर्ग सूचना प्रदर्श पी –1 दर्ज कराया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसकी नातिन संतोषी बाई का विवाह लगभग चार वर्ष पूर्व अपीलार्थी क्रमांक 2 मुकेश के साथ संपन्न हुआ था और दंपत्ति को एक कन्या संतान प्राप्त हुई थी। उसने आरोप लगाया कि घटना से लगभग 15 दिन पूर्व मृतका अकेले ही अपने मायके आई थी और पूछताछ करने पर उसने बताया कि जब उसने अपने ससुराल वालों से मायके जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई, बल्कि उससे झगड़ा किया गया, जिसके कारण वह बिना किसी को बताए ससुराल छोड़कर आ गई। उसने आगे कहा कि लगभग आठ दिन बाद मृतका के ससुर एवं सास उसे किसी रस्म के बहाने वापस ले गए। घटना के दिन लगभग 2:30 बजे अपीलार्थियों के गाँव के निवासी कुंवर कौशिक (अ.सा. -3) ने उसे सूचना दी कि मृतका संतोषी बाई की मृत्यु हो गई है और जब तक वह वहाँ पहुँचे, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उसने आरोप लगाया कि जब वह भगवत कौशिक (अ.सा. -8) के साथ ग्राम कोशमंडा पहुँचा, तब तक मृतका का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। उसने अपीलार्थी क्रमांक 1 झुटेल राम से पूछा कि उसके आने की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम संस्कार क्यों किया गया, और जब उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। उक्त मर्ग सूचना प्रदर्श पी -1 के आधार पर उसी दिन देहाती नालिशी प्रदर्श पी -6 दर्ज की गई तथा दिनांक 20.07.1997 को अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 304ख, 201 एवं 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 08.09.1997 को वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषसिद्ध ठहराने हेतु अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में 13 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलेखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाए जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 304ख एवं 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडित किया। अतः, यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थियों के विरुद्ध न तो दहेज की मांग का कोई आरोप है और न ही क्रूरता का, अतः ऐसी परिस्थितियों में उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अपीलार्थियों के अधिवक्ता के अनुसार, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक थी या विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी क्रमांक 1, 3 एवं 4 के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है, फिर भी उन्हें दोषसिद्ध कर दिया गया है

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गोवर्धन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विधि के अनुरूप है तथा उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या दोष नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री, जिसमें आक्षेपित निर्णय भी सम्मिलित है, का अवलोकन किया गया।

8. निर्विवाद रूप से, अभिलेख पर मृतका की मृत्यु के कारण के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मर्ग दर्ज होने एवं देहाती नालिशी पंजीबद्ध होने से पूर्व ही मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिसके कारण उसका शवपरीक्षण नहीं हो सका। मेलान राम (अ.सा. -12), जो टेम्पो चालक है, ने कथन किया कि जब मृतका को उपचार हेतु कवर्धा अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब वह तीव्र अतिसार (डायरिया) से पीड़ित थी और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई।

9. रामचंद्र (अ.सा. -1), जो मृतका के दादा तथा जिन्होंने मर्ग सूचना प्रदर्श पी -1 दर्ज कराई थी, ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा कि मृतका का विवाह घटना की तिथि से लगभग चार वर्ष पूर्व अपीलार्थी क्रमांक 2 के साथ संपन्न हुआ था और उक्त विवाह उसी ने कराया

था, क्योंकि मृतका के पिता प्रभु (अ.सा. -5) अपनी पत्नी सती बाई (अ.सा. -6) के साथ अलग रह रहे थे। विवाह के पश्चात मृतका उसके घर आती-जाती थी और उसकी एक पुत्री भी थी। उसने कहा कि एक बार वह मृतका को लाने उसके ससुराल गया था, जहाँ उसके समक्ष ही अपीलार्थी क्रमांक 2 (पति) द्वारा मृतका के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उसने हस्तक्षेप किया। इसके पश्चात मृतका उसके साथ आई और लगभग आठ दिन रहने के बाद पुनः अपने ससुराल चली गई। इस साक्षी के अनुसार, जब भी मृतका उसके घर आती थी, वह उसे बताती थी कि उसका पति अपीलार्थी क्रमांक 2 उसकी संपत्ति में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कहता है, जिस पर उसने उसे बताया कि संपत्ति संयुक्त है और उसके संबंध में प्रकरण लंबित है, अतः अपीलार्थी क्रमांक 2 का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि घटना से लगभग एक माह पूर्व, जब वह बीमार था, मृतका अकेले ही उसके घर आई थी और पूछने पर उसने बताया कि अपीलार्थी उसे वहाँ आने नहीं देते थे, इसलिए वह बिना अनुमति के आ गई। इस पर उसने उसे कहा कि उसे बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए था। लगभग आठ दिन बाद अपीलार्थी क्रमांक 1, जो मृतका का ससुर है, दो अन्य व्यक्तियों के साथ उसे लेने उसके घर आया। उसने आगे कहा कि मृतका ने उसे बताया कि उसकी पुत्री तथा वह स्वयं बीमार हैं, इसलिए अपीलार्थियों के घर में कुछ पूजा करनी है, अतः उसे वहाँ जाना आवश्यक है और वह अपने ससुराल चली गई। उसके अनुसार, घटना के दिन ग्राम कोशमंडा (अपीलार्थियों का गाँव) के कुंवर सिंह (अ.सा. -3) ने उसके घर आकर मृतका की मृत्यु की सूचना दी तथा यह भी बताया कि अपीलार्थी उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। लगभग 3 बजे वह ग्राम कोशमंडा पहुँचा और श्मशान स्थल से धुआँ उठता देखकर वहाँ गया, परंतु तब तक मृतका का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। उसने अपीलार्थी क्रमांक 1 से पूछा कि उसके आने की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम संस्कार क्यों किया गया, जिस पर उसे बताया गया कि उसके समय पर न पहुँच पाने के कारण अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसने कहा कि जब उसने मृत्यु के कारण के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि मृतका को उपचार हेतु कवर्धा ले जाया जा रहा था, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। संदेह होने पर उसने उसी दिन लगभग 5 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने यह भी कहा कि मृतका का विवाह घटना की तिथि से लगभग 6-7 वर्ष पूर्व अपीलार्थी क्रमांक 2 से हुआ था। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 15 में उसने स्वीकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया कि अपीलार्थी क्रमांक 2 द्वारा उसकी संपत्ति में नाम दर्ज कराने के संबंध में जो आरोप उसने लगाए, उसके बारे में उसने कभी पुलिस को नहीं बताया था और यह तथ्य वह पहली बार न्यायालय में बता रहा है। उसने यह भी स्वीकार किया कि मर्ग सूचना देते समय उसने सभी अभियुक्तों के नाम नहीं बताए थे। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 19 में उसने कहा कि वह लगभग 4:30 बजे ग्राम कोशमंडा पहुँचा, जहाँ अपीलार्थी क्रमांक 1 ने उसे बताया कि मृतका को डायरिया था और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी के न्यायालयीन कथन एवं केस डायरी कथन के मध्य महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं सुधार परिलक्षित होते हैं।

10. घनश्याम (अ.सा. -2) मृत्यु समीक्षा सूचना प्रदर्श पी -2 तथा मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी -3 के साक्षी हैं, जिसके द्वारा उस स्थान का मृत्यु समीक्षा तैयार किया गया जहाँ मृतका का अंतिम संस्कार किया गया था। कुंवर सिंह (अ.सा. -3) वह साक्षी है, जो लगभग प्रातः 11 बजे रामचंद्र (अ.सा. -1) के गाँव जाकर मृतका की मृत्यु की सूचना देने गया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा कि घटना के दिन वर्षा हो रही थी और सामान्यतः गाँव में अंतिम संस्कार यथाशीघ्र कर दिया जाता है तथा अंतिम संस्कार के समय 30-40 व्यक्ति उपस्थित थे। रामानुज (अ.सा. -4), जिसके समक्ष मृतका की मृत्यु की सूचना रामचंद्र (अ.सा. -1) को दी गई थी, ने कहा कि वह रामचंद्र (अ.सा. -1) के साथ ग्राम कोशमंडा गया था, जहाँ वे लगभग 4:15 बजे पहुँचे। इस साक्षी ने भी यह स्वीकार किया कि घटना के दिन वर्षा हो रही थी। प्रभु (अ.सा. -5), जो मृतका के पिता हैं, ने अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया है। सती बाई (अ.सा. -6), जो मृतका की सौतेली माँ है, ने कहा कि जब भी मृतका रामचंद्र (अ.सा. -1) के घर आती थी, तो वह उसे एवं उसकी पत्नी को अपीलार्थियों के संबंध में बताती थी। उसके कथन में कुछ लोप परिलक्षित होते हैं, क्योंकि कंडिका-5 में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह मृतका को उसके ससुराल छोड़ने जा रही थी, तब मृतका ने उसे सभी तथ्य बताए थे और यह तथ्य उसने पुलिस को भी बताया था; यदि पुलिस ने उसे अभिलेखित नहीं किया तो उसका कारण वह नहीं बता सकती। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के दिन वर्षा हो रही थी। संतोष सिंह राजपूत (अ.सा. -7), सहायक उपनिरीक्षक, ने मर्ग सूचना प्रदर्श पी -1 दर्ज की थी। भगवत (अ.सा. -8), जो एक ग्रामीण साक्षी है, अन्य ग्रामीणों के साथ रामचंद्र (अ.सा. -1) के साथ ग्राम कोशमंडा गया था

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और रामचंद्र द्वारा पूछने पर अपीलार्थी क्रमांक 1 ने बताया कि सूचना प्रातः 11 बजे दी गई थी, किंतु वे समय पर नहीं पहुँच सके, इसलिए मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हीरालाल (अ.सा. -9) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया और उसे शत्रुतापूर्ण (hostile) घोषित किया गया। धनुष तिवारी (अ.सा. -10), जो ग्राम चिकित्सक है, ने कहा कि घटना के दिन मृतका को डायरिया था और उसे उपचार के लिए बुलाया गया था, परंतु उसकी स्थिति गंभीर एवं अत्यंत कमजोर होने के कारण उसने उपचार करने के बजाय अपीलार्थियों को उसे कवर्धा ले जाने की सलाह दी। गजेन्द्र सिंह (अ.सा. -11), जिसने ग्राम कोटवार को घटना की सूचना दी थी, ने अपीलार्थियों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। मेलान राम (अ.सा. -12), जो टेम्पो चालक है, ने कहा कि घटना के दिन अपीलार्थी क्रमांक 2 ने उसे बुलाया और बताया कि उसकी पत्नी बीमार है और उसे कवर्धा ले जाना है। उसने मृतका, अपीलार्थी क्रमांक 2, अपीलार्थी क्रमांक 1 तथा उसकी पत्नी को अपने वाहन से कवर्धा ले जाया। उसने आगे कहा कि रास्ते में उसे वाहन रोकना पड़ा क्योंकि मृतका को तीव्र डायरिया था और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। एल.के. पांडेय (अ.सा. -13), अन्वेषण अधिकारी, ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी क्रमांक 1, 3 एवं 4 के विरुद्ध दहेज की मांग करने का कोई भी आरोप नहीं है। किसी भी साक्षी ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है, अतः विचारण न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है और उसे अपास्त किया जाता है।

12. जहाँ तक अपीलार्थी क्रमांक 2 के विरुद्ध आरोप का संबंध है, उसके विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उसने मृतका से कहा था कि वह अपने दादा रामचंद्र (अ.सा. -1) से उसकी संपत्ति में उसका नाम दर्ज कराने के लिए कहे। यहाँ तक कि रामचंद्र (अ.सा. -1) तथा अभियोजन के अन्य साक्षी भी इस आरोप को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक थी; इसके विपरीत साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि मृतका की मृत्यु तीव्र डायरिया के कारण हुई तथा अपीलार्थियों द्वारा उसे बचाने के प्रयास भी किए गए। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका के साथ कोई क्रूरता की गई या अपीलार्थियों द्वारा किसी प्रकार की दहेज की मांग की गई। अतिरिक्त रूप से, भारतीय दंड संहिता की धारा

201 के अंतर्गत अपराध के संबंध में भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु के पश्चात रामचंद्र (अ.सा. -1) को सूचना दी गई थी और जब वह समय पर ग्राम कोशमंडा नहीं पहुँच सके, तब मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि सामान्यतः गाँवों में सूर्यास्त से पूर्व अंतिम संस्कार किया जाता है तथा घटना के दिन वर्षा हो रही थी, इसलिए अंतिम संस्कार सूर्यास्त से पूर्व कर दिया गया। अतः अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के सम्यक् विचार से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलार्थी क्रमांक 2 की भी किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखना संभव नहीं है।

13. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचता है कि आक्षेपित निर्णय, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया गया है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, अतः वह अपास्त किए जाने योग्य है। अतः, अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 16.10.2000 का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी पहले से जमानत पर हैं, अतः उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Abhishek Banjare, Advocate